CORPORATE Law :-

KINDS OF COMPANIES

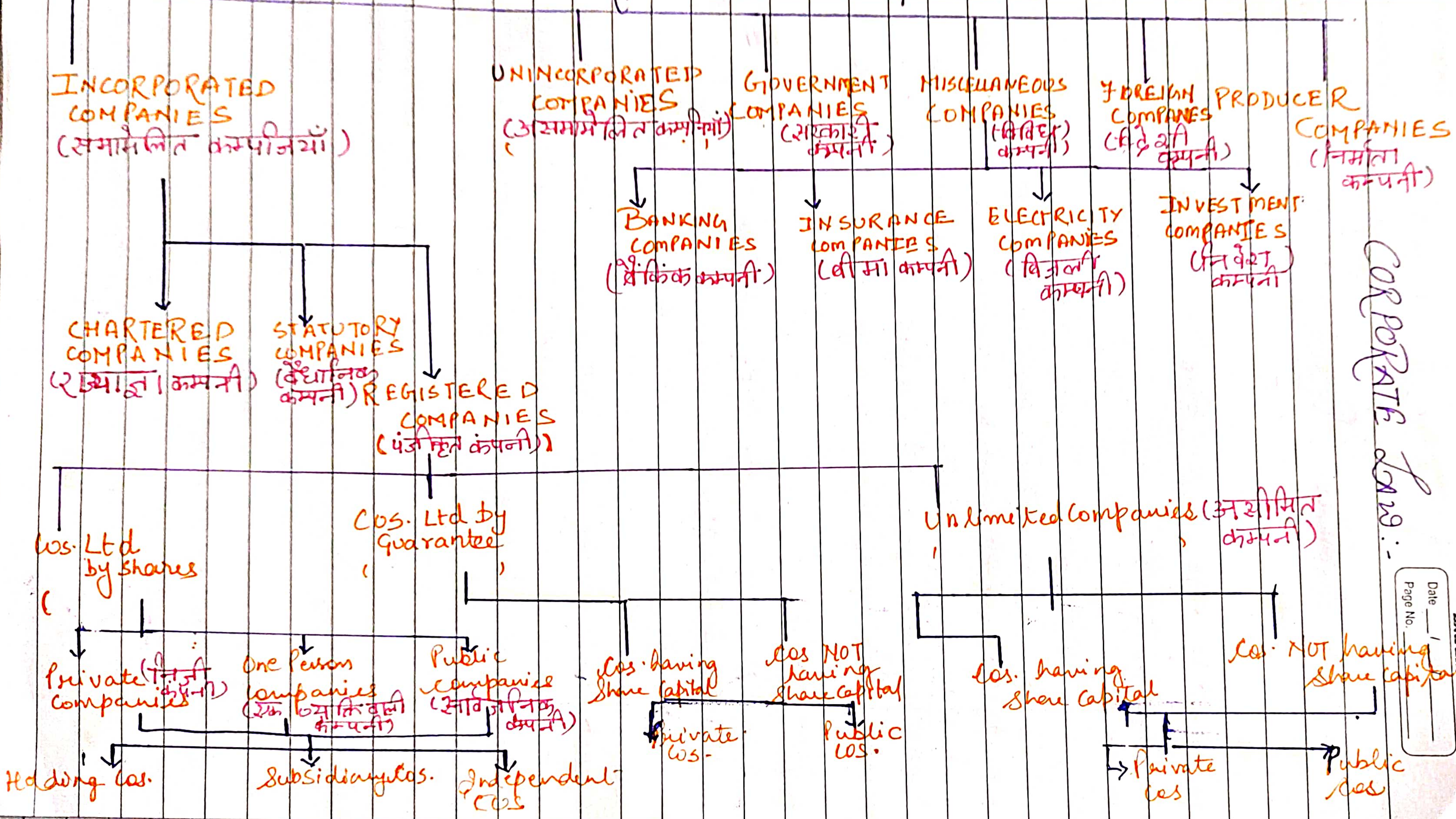

PRIVATE COMPANY
(निजी कम्पनी)

Private Company :- According to Sec 2(68) of the Indian Companies Act, 2013, a private company is that company which has paid up share capital as may be prescribed and by its articles of association:-

(i) Limit the number of its member to 200 (Except in case of One Person Company) excluding the persons who are under the employment of the company and those who were a member of company because of their employment & has continued to be a member even after the employment has ceased.

(ii) Restricts the right of transfer of shares, If any

(iii) Prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company.

Where 2 or more persons hold share jointly, they are treated as a single member. According to Sec3 of the Companies Act, the Minimum number of members to form a private company is 2. A private company must use the word "Private" or "Pvt" after its name.

निजी कम्पनी : धारा 2 (68) - भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) के अनुसार 'निजी कम्पनी' का आशय ऐसी कम्पनी से है, जो अपनी अन्तर्नियमों द्वारा निम्नलिखित पर प्रतिबन्ध लगाते हैं -

(i) अपने अंशों के हस्तान्तरण के अधिकार पर रोक।

(ii) सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखना (एक

Date ___/___/______
Page No. ______

व्यक्ति कम्पनी छोड़कर)
परन्तु निम्नांकित को सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा -
(1) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी के कर्मचारी हों, एवं
(2) ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में कम्पनी के कर्मचारी होने के कारण कर्मचारी के दौरान कम्पनी के सदस्य थे और जो नियोजन समापन के पश्चात् अपनी सदस्यता जारी रखे हुए हैं।
(3) कम्पनी की प्रतिभूतियाँ लेने के लिए जनता को निमन्त्रण नहीं दे सकती है।

कम्पनी अधिनियम के अनुसार यदि कम्पनी में दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कम्पनी में एक से अधिक अंश लेते हैं तो उसे एक सदस्य माना जायेगा। निजी कम्पनी के नाम के अन्त में "Private Limited" या Pvt शब्द लिखना अनिवार्य है।

Characteristics OR Features of a Private Company -
निजी कम्पनी की विशेषताएँ :-

(1) A private company restricts the right of transfer of its shares. The articles generally state that whenever a shareholder of a private company wants to transfer his shares he must first offer them to the existing members of the company so as to preserve the family nature of the company's shareholders.

एक निजी कम्पनी अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाती है। यदि अन्तर्नियमों में पहले से कोई व्यवस्था की गयी हो, तो निजी कम्पनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तान्तरण कर सकते हैं परन्तु उन्हें

सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों को अंश हस्तान्तरण करना होगा। निजी कम्पनी में अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है कि निजी कम्पनी बड़े परिवार के रूप में दिखाई पड़े।

(ii) It limits the number of its members to 200 excluding members who are already employed or ex-employees who were & continue to be the member. Where 2 or more persons hold share jointly they are treated as single member. The Minimum member to form a private Company is 2.

एक निजी कम्पनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी के कर्मचारी तथा सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति जो पहले से कम्पनी के कर्मचारी होते हुए भी सदस्य थे और अब कर्मचारी नहीं है परन्तु सदस्य हैं, उनको शामिल नहीं किया जायगा।

(iii) A private company cannot invite the public to subscribe for its capital or shares of debentures. It has to make its own private arrangement.

निजी कम्पनी अपनी पूँजी का प्रबन्ध निजी रूप में ही करती है। यह जनता को अपने अंशों और ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए आमन्त्रित नहीं कर सकती है।

(iv) Number of Director is 2.
एक निजी कम्पनी न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 होगी।

PUBLIC COMPANY :-
सार्वजनिक कम्पनी :-

According Section 2 (71) of Indian Companies Act 2013 " A Public company means a company which is not a private company.". The provision regarding the minimum paidup share capital is not applicable anymore as per the Companies (Amendment) Act 2015.

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (71) के अनुसार, "एक सार्वजनिक कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जो निजी कम्पनी नहीं है।" इसे इसप्रकार कहा जा सकता है कि सार्वजनिक कम्पनी वह है जिसके ऊपर किसी कम्पनी के प्रतिबन्ध लागू नहीं होते है।

Characteristics are as follows:-
विशेषताऐं निम्न है :-

(1) The articles do not restricts the transfer of shares of the company.
कम्पनी अपने अंशों के हस्तान्तरण पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती।

(2) Minimum member is 7 & their is no upper limit.
सदस्य संख्या न्यूनतम 7, अधिकतम की कोई सीमा नहीं।

(3) It invites the general public to purchase the securities of the companies.

कम्पनी अपने अंशों व ऋण-पत्र के क्रय के लिए जनसाधारण को आमन्त्रित करती है।